प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

जिला सूचना,
विज्ञान अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1069 /सा0वि0/ठेकेजात/2020–21 दिनांक :– 19-7-2021

विषय– नगरपालिका परिषद, बुलन्दशहर पालिका सीमान्तर्गत विज्ञापन होडिग्स बोर्ड, बैनर आदि एवं ठेका 40 यूनिपोल पालिका सीमान्तर्गत लगाये के लिए अल्पकालीन ई–बोली सूचना ई–बोली उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर अपलोड होने के उपरान्त संलग्नक विज्ञापन को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि नगरपालिका परिषद, बुलन्दशहर पालिका सीमान्तर्गत विज्ञापन होडिग्स बोर्ड, बैनर आदि ठेका 40 यूनिपोल लगाये जाने के लिए अल्पकालीन ई–टैण्डर बोली सूचना का विज्ञापन जिले की वेबसाईट पर अपलोड शासन के निर्देशानुसार कराया जाना है। इसलिए अल्पकालीन ई–टैण्डर बोली के विज्ञापन को वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार ई–टैण्डर बोली मांगे जाने की विज्ञप्ति को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराकर सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 : /सा0वि0/ठेकेजात/2020–21 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बुलन्दशहर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

पत्रांक :   /सा.वि./ठेकेजात/2020–21   दिनांकः–

अल्पकालीन ई–टेण्डर बोली सूचना

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अपनी राजस्व वसूली सम्बन्धी ठेका 40 यूनिपोल की ई–टैण्डर बोली का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट/ई–टेण्डर बोली प्रक्रिया के माध्यम से शासनादेश संख्या 3/2017/1067/78–2–2017– 42आई0टी0/2017 दिनांक 12.05.2017 आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग–02 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ई–टैण्डर बोली आमन्त्रित की जाती है। ई–टैण्डर बोली का शुल्क खाता संख्या–01401131002304 ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स, सिविल लाईन, मोतीबाग, बुलन्दशहर आई0एफ0एस0सी0 कोड–ORBC0100140 में जमा करने के पश्चात् ही उपरोक्त ई–बोली में प्रतिभाग किया जायेगा। ई–बोली का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है:–

ठेके की ई–बोली अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि	20-3 .2021 से 27-3 .2021 अपरान्ह 2 बजे तक
ठेके की ई–बोली स्केन आर्नेस्टमनी एवं ई–बोली शुल्क की मूल प्रति मुख्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	27-3 – .2021 सायं 3.00 बजे तक
ठेके की ई–बोली खोलने की तिथि	27-3 – .2021 अपरान्ह 4.00बजे

क्र0सं0	कार्य का नाम	जमानत राशि	बोली मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	बोली की अवधि
1	2	3	4	5
1	ठेका 40 यूनिपोल वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पालिका सीमान्तर्गत स्थापित करने हेतु	500000/-	3000+540=3540/-	एक वर्ष
2	ठेका विज्ञापन होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर आदि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु (काला आम व अन्सारी रोड चौराहे को छोड़कर)	500000/-	3000+540=3540/-	एक वर्ष

नोटः–उक्त ई–बोली बैवसाईट **http://WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN** पर देखी जा सकती हैं।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

पृ0सं0:–   /सा0वि0/ठेकेजात/2020–21   तददिनांकः–

प्रतिलिपिः–   सम्पादक हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन को अपने आगामी समाचार पत्र के अंक में सुस्पष्ट अक्षरो व कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की पांच प्रतियों सहित बिल उपलब्ध कराने का काष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर।

F- Tender Parking Stand 19-20

निर्धारित शर्ते

1. सशर्त ई–बोली मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
2. उपरोक्त ई–बोली में से किसी भी बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
3. प्रत्येक ई–बोली के साथ कॉलम संख्या 3 में अंकित विवरण के अनुसार, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक कराकर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
4. ई–बोली के साथ कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार ई–बोली मूल्य की बैंक रशीद, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पक्ष में जमा कराकर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
5. ई–बोली खोले, जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
6. निविदादाता को ई–बोली स्वीकृति की सूचना पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि पालिका कोष में जमाकर निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र एक सप्ताह में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक निविदादाता को तकनीकी विड के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व जी0एस0टी0 पंजीकरण पत्र, पेन कार्ड एवं नगर पालिका से निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी। समस्त प्रपत्र एवं ई–बोली शुल्क की रसीद तथा जमानत राशि की एफ0डी0आर0 तथा 100/– रूपये के स्टाम्प पर स्वघोषणा पत्र को लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर अपने कार्य का नाम एवं ठेके का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए पालिका में रखे ई–बोली बॉक्स में निर्धारित तिथि तक डालना होगा।
8. ई–बोली के साथ शर्त संख्या–7 में वर्णित प्रपत्रों की प्रति अपठनीय होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. प्रत्येक कार्य की ई–बोली के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र बुलन्दशहर होगा।
10. प्रत्येक ई–बोली से सम्बन्धित शर्ते वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर एवं पालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
11. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त यदि किन्ही कारणों से ठेकेदार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो नगर पालिका किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टैण्डरिंग प्रणाली द्वारा विज्ञापन- होर्डिंग्स का ठेका सर्वाधिक निविदाओं के आधार पर संचालन हेतु।

विज्ञापन निम्न प्रकार के होंगे-

(1) होर्डिंग्स बोर्ड (2) क्योस्क, बैनर बोर्ड, वाल पेन्टिंग, समाचार पत्र पम्पलेट पर्चा, पोस्टर, वाहन प्रचार, ग्लोसाईन व इन्डिकेटर बोर्ड, (यूनीपोल/एल0ई0डी0 बोर्ड को छोड़कर)

निर्धारित शर्ते

1. यह कि ठेका नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित नियत स्थान पर प्रभावी होगा।
2. विज्ञापन पट की माप 12.2 मी0 X 6.1 मी0 से अधिक नहीं होगी तथा भूतल से ऊँचाई 2 मी0 से कम नहीं होगी।
3. विज्ञापन का आवंटन ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टैण्डरिंग प्रणाली के द्वारा आधार पर किया जायेगा।
4. यह कि तकनीकी निविदा खुलने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जैसे- ग्रीनबेल्ट, पार्क, एल0एम0सी0 भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि या प्राइवेट भूमि पर लगाये गये विज्ञापन अवैध माने जायेंगे इन्हें हटाकर भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।
6. दुकान स्वामियों द्वारा अपना स्वयं का नाम दुकान का नाम (व्यावसायिक प्रकार छोड़कर) का बोर्ड लगाने पर कोई विज्ञापनकर देय नहीं होगा।
7. जनहित के विज्ञापन (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) पल्स पोलियो, मतदाता, पहचान पत्र, जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन साक्षरता मिशन, परिवार कल्याण आदि जन उपयोगी सामाजिक सूचनाओं के विज्ञापन के लिए 20 प्रतिशत स्थल आरक्षित होंगे।
8. नगर पालिका के अतिरिक्त किसी भी सरकारी (रेलवे को छोड़कर) अर्द्ध सरकारी, निजी संस्था इत्यादि को पालिका सीमान्तर्गत विज्ञापन के ठेके देने प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा।
9. नगर पालिका प्रत्येक माह विज्ञापन पटों का भौतिक निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या पत्रावली पर रखी जायेगी।
10. यह कि निविदादाता को निविदा से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करनी आवश्यक होंगी :-

(अ) निविदा के साथ जमानत राशि अकंन 500000/- रूपये की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 मे अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ब) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र पूर्व में किसी अन्य विभाग के ठेका/ठेकों में दाखिल नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र स्वयं के होने चाहिए।

(स) इस नगर पालिका परिषद एवं जिला प्रदर्शनी, बुलन्दशहर द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा।

(द) नोटरी शपथ पत्र जिसमें हैसियत प्रमाण पत्र की उपरोक्त वैधता एवं निविदादाता के स्थानीय बैंकों में खातों की संख्या एवं बैंकों के नाम उल्लेख करना होगा एवं अपना आधार कार्ड संलग्न करना होगा।

11. सर्वाधिक निविदादाता के अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय सर्वाधिक निविदादाता की धरोहर राशि एफ0डी0आर0 रोककर शेष निविदादाताओं की धरोहर उसी समय वापस कर दी जाएगी।
12. सर्वाधिक निविदादाता को स्वीकृति के पश्चात् सम्पर्णू धनराशि (एक सप्ताह) में पालिका कोष में जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त करते हुए द्वितीय निविदा दाता को प्रथम निविदा दाता की सर्वाधिक धनराशि का ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13. यह है कि निविदादाता द्वारा पालिका उपविधि के अनुसार निर्धारित दरों से वूसली करनी होगी तथा यह भी समय–समय पर शासन–प्रशासन/पालिका बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा।

14. यह कि विज्ञापन बोर्ड अधिशासी अधिकारी की अनुमति के पश्चात् लगाये जायेगे।

15. यह कि ठेकेदार पालिका सीमा में ऐसे पत्रक, सूचना, पोस्टर, साईन बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड आदि को नहीं लगायेगा जिनसे नैतिकता, जनाक्रोश शान्ति व्यवस्था आदि प्रभावित होते हो।

16. यह कि राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के विज्ञापन एवं बोर्ड आदि पर ठेकेदार शुल्क वसूल नहीं करेगा और न ही उन्हें हटायेगा तथा प्रत्येक बोर्ड लगाने से पूर्व बोर्ड के आकार, प्रकृति तथा सम्बन्धित स्थल का उल्लेख करते हुए पालिका द्वारा अनुमति प्राप्त करेगा।

17. यह कि विशेष अभियानों के तहत अथवा जनहितों को दृष्टिगत् रखते हुए जो बोर्ड आदि प्रशासन/पालिका द्वारा हटाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में ठेकेदार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का दावा करेगा।

18. यह कि पालिका द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी समय–समय पर पालिका सीमा में स्थित बोर्ड आदि का निरीक्षण करेंगे तथा इस सम्बन्ध में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

19. यह कि पालिका विषयक सम्बन्धी प्रचार–प्रसार आदि का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा उसको व्यवस्था निःशुल्क करनी होगी।

20. यह कि ठेकेदार सार्वजनिक स्थलों तथा पार्क आदि एवं सरकारी विभागों के मुख्य दरवाजों/दीवारों का प्रयोग विज्ञापन/बोर्ड पोस्टर आदि हेतु कदापि नहीं करेगा।

21 यह कि ठेकेदार को ठेके की कुल राशि पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्रों पर स्वयं के खर्चे से स्वीकृति के तुरन्त बाद अनुबन्ध कराना होगा।

22 यह कि पालिका ठेकदार एवं शुल्क दाता के मध्य वसूली सम्बन्धी विवादों पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर का होगा ऐसी स्थिति में बिना कारण बताये ठेका निरस्त किया जा सकता है।

23. यह कि ठेकेदार स्वयं के अपने अभिकर्मकों की पहचान दो नवीनतम फोटो मय पते के उपलब्ध करायेगा।

24. यह कि वर्ष में कभी भी उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन आदि का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर का होगा।

25. यह कि ठेकेदार प्रत्येक होर्डिंग्स बोर्डों पर नम्बर अंकित करेगा यदि बिना नम्बर का होर्डिंग्स बोर्ड लगा पाया गया तो उसे पालिका हटवा देगी।

26. यह कि ठेकेदार होर्डिंग्स बोर्डों को इस प्रकार लगायेगा जिससे आवागमन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो यदि ऐसा बोर्ड जो आवागमन में रूकावट पैदा करता पाया गया तो पालिका उस बोर्ड को हटवायेगी और उसका हर्जा–खर्चा ठेकेदार से वसूल करेगी।

27. ठेकेदार होर्डिंग्स बोर्ड सड़क किनारे आड़े–तिरछे नहीं लगायेगा।

28. ठेकेदार द्वारा वसूली के लिए निर्गत की जाने वाली रसीद बुक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के अभिलेखाकार लिपिक से शुल्क जमा कर प्राप्त करनी होगी।

29. समय–समय पर शासन, प्रशासन, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार को करना होगा।

30. यह कि नगर के मुख्य चौराहे कालाआम एवं अन्सारी रोड को छोड़कर ही विज्ञापन/होर्डिंग लगाये जायेगे।

31. ठेकेदार विज्ञापन पटों को पूर्णतः अत्यन्त सावधानी एवं मजबूती से लगवायेगें, जिससे किसी भी प्रकार से गिरने का आन्देशा न रहे। यदि आंधी, तूफान से किसी विज्ञापन पट, गाटर आदि के गिरने से किसी जनमानस को क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति हेतु पालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. नियमानुसार क्रय की गयी निविदा दाताओं की निविदा पर ही विचार किया जायेगा। निविदा खुलने के उपरान्त किसी भी प्रार्थना पत्र/ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा।

कर अधीक्षक नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।

d/tax/tender 19-20 shart

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

वित्तीय वर्ष 2021–22 से एक वर्ष के लिए ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टैण्डरिंग प्रणाली द्वारा विज्ञापन हेतु पालिका सीमान्तर्गत 40 यूनिपोल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

यूनिपोल निम्न प्रकार के होंगे:–

निर्धारित शर्ते

1. यह कि ठेका नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित नियत स्थान पर प्रभावी होगा।
2. यूनिपोल पट की माप 10 X 20 से अधिक नहीं होगी तथा भूतल से ऊँचाई 20 फीट से कम नहीं होगी।
3. यूनिपोल का आवंटन ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई– टैण्डरिंग प्रणाली के आधार पर पांच वर्ष के लिए किया जायेगा। जिस पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए धनराशि पालिका में जमा की जायेगी।
4. यह कि तकनीकी निविदा खुलने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जैसे– ग्रीनबैल्ट, पार्क, एल0एम0सी0 भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि या प्राइवेट भूमि पर लगाये गये यूनिपोल अवैध माने जायेगे इन्हें हटाकर भू–राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।
6. जनहित के विज्ञापन (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) पल्स पोलियो, मतदाता, पहचान पत्र, जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन साक्षरता मिशन, परिवार कल्याण आदि जन उपयोगी सामाजिक सूचनाओं के विज्ञापन के लिए 20 प्रतिशत स्थल आरक्षित होगे।
7. नगर पालिका के अतिरिक्त किसी भी सरकारी (रेलवे को छोड़कर) अर्द्ध सरकारी, निजी संस्था इत्यादि को यूनिपोल के ठेके पर प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा।
8. नगर पालिका प्रत्येक माह यूनिपोल पटों का भौतिक निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या पत्रावली पर रखी जायेगी।
9. यह कि निविदादाता को निविदा से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करनी आवश्यक होंगी :–

(अ) निविदा के साथ जमानत राशि अकंन 500000/– रूपये की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पद नाम से बंधक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ब) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र छः माह के भीतर जारी होने चाहिए। हैसियत प्रमाण पत्र पूर्व में किसी अन्य विभाग के ठेका/ठेकों में दाखिल नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र स्वयं के होने चाहिए।

(स) इस नगर पालिका परिषद एवं जिला प्रदर्शनी, बुलन्दशहर द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा।

(द) नोटरी शपथ पत्र जिसमें हैसियत प्रमाण पत्र की उपरोक्त वैधता एवं निविदादाता के स्थानीय बैंकों में खातों की संख्या एवं बैंको के नाम उल्लेख करना होगा एवं अपना आधार कार्ड संलग्न करना होगा।

11. सर्वाधिक निविदादाता के अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय सर्वाधिक निविदादाता की जमानत राशि एफ0डी0आर0 रोककर शेष निविदादाताओं की जमानत उसी समय वापस कर दी जाएगी।
12. सर्वाधिक निविदादाता को स्वीकृति के पश्चात् सम्पर्णू धनराशि (एक सप्ताह) में एवं प्रति वित्तीय वर्ष के 10 अप्रैल तक पालिका कोष में जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त करते हुए द्वितीय निविदा दाता को प्रथम निविदा दाता की सर्वाधिक धनराशि का ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
13. यह है कि निविदादाता द्वारा पालिका उपविधि के अनुसार निर्धारित दरों से वूसली करनी होगी तथा यह भी समय–समय पर शासन–प्रशासन/पालिका बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा।

14. यह कि यूनिपोल अधिशासी अधिकारी की अनुमति के पश्चात् लगाये जायेंगे।

15. यह कि ठेकेदार पालिका सीमा में यूनिपोल पर ऐसे कोई पत्रक, सूचना, पोस्टर, साईन बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड आदि को नहीं लगायेगा जिनसे नैतिकता, जनाक्रोश शान्ति व्यवस्था आदि प्रभावित होते हों।

16. यह कि राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के विज्ञापन एवं बोर्ड आदि पर ठेकेदार शुल्क वसूल नहीं करेगा और न ही उन्हें हटायेगा तथा प्रत्येक बोर्ड लगाने से पूर्व बोर्ड के आकार, प्रकृति तथा सम्बन्धित स्थल का उल्लेख करते हुए पालिका द्वारा अनुमति प्राप्त करेगा।

17. यह कि विशेष अभियानों के तहत अथवा जनहितों को दृष्टिगत् रखते हुए जो यूनिपोल आदि प्रशासन/पालिका द्वारा हटाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में ठेकेदार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का दावा करेगा।

18. यह कि पालिका द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर पालिका सीमा में स्थित यूनिपोल आदि का निरीक्षण करेगा तथा इस सम्बन्ध में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

19. यह कि पालिका विषयक सम्बन्धी प्रचार-प्रसार आदि का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा उसको व्यवस्था निःशुल्क करनी होगी।

20. यह कि ठेकेदार को ठेके की कुल राशि पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्रों पर स्वयं के खर्चे से स्वीकृति के तुरन्त बाद अनुबन्ध कराना होगा।

21. यह कि पालिका ठेकदार एवं शुल्क दाता के मध्य वसूली सम्बन्धी विवादों पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर का होगा ऐसी स्थिति में बिना कारण बताये ठेका निरस्त किया जा सकता है।

22. यह कि ठेकेदार स्वयं के अपने अभिकर्मकों की पहचान दो नवीनतम फोटो मय पते के उपलब्ध करायेगा।

23. यह कि वर्ष में कभी भी उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन आदि का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर का होगा।

24. यह कि ठेकेदार प्रत्येक यूनिपोल पर नम्बर अंकित करेगा यदि बिना नम्बर का यूनिपोल लगा पाया गया तो उसे पालिका हटवा देगी।

25. यह कि ठेकेदार यूनिपोल को इस प्रकार लगायेगा जिससे आवागमन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो यदि ऐसा यूनिपोल जो आवागमन में रूकावट पैदा करता पाया गया तो पालिका उस यूनिपोल को हटवायेगी और उसका हर्जा-खर्चा ठेकेदार से वसूल करेगी।

26. ठेकेदार यूनिपोल सडक किनारे आडे-तिरछे नहीं लगायेगा।

27. ठेकेदार द्वारा वसूली के लिए निर्गत की जाने वाली रसीद बुक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के अभिलेखाकार लिपिक से शुल्क जमा कर प्राप्त करनी होगी।

28. समय-समय पर शासन, प्रशासन, मा० उच्च न्यायालय, मा० सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार को करना होगा।

29. यह कि नगर के मुख्य चौराहे कालाआम एवं अन्सारी रोड को छोड़कर ही यूनिपोल लगाये जायेंगे।

30. ठेकेदार यूनिपोल पटों को पूर्णतः अत्यन्त सावधानी एवं मजबूती से लगवायेंगे, जिससे किसी भी प्रकार से गिरने का आन्देशा न रहे। यदि आंधी, तूफान से किसी यूनिपोल पट, गाटर आदि के गिरने से किसी जनमानस को क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति हेतु पालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

31. नियमानुसार क्रय की गयी निविदा दाताओं की निविदा पर ही विचार किया जायेगा। निविदा खुलने के उपरान्त किसी भी प्रार्थना पत्र/ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा।

32. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किराया व यूनिपोल शुल्क अंकन 120/- रूपये प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष पालिका कोष में जमा करना होगा।

कर अधीक्षक नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर।